न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 17 /2018 जिला दौसा

1. रामजीलाल पुत्र हटीला नाथ
2. रामसिंह पुत्र हटीला नाथ
3. रामस्वरूप पुत्र हटीला नाथ
4. रामप्यारी पत्नि हटीला नाथ
5. हरलाल पुत्र बुद्धानाथ
6. रामहेतु पुत्र बुद्धानाथ
7. विजयसिंह पुत्र बुद्धानाथ
8. श्रीचंद पुत्र बुद्धानाथ
9. रूकमणी पत्नि बुद्धानाथ
10. रतन पुत्र हरसी
11. मुकेश पुत्र हरसी
12. शांति पत्नि हरसी
13. गंगासहाय पुत्र मूल्या
14. लक्ष्मण पुत्र मूल्या
15. बीरबल पुत्र मूल्या
16. कालू पुत्र हरसी
17. कजोडनाथ पुत्र भूरानाथ
18. कैलाशचंद पुत्र गोरीनाथ
19. भोलानाथ पुत्र गोरीनाथ
20. हजारीनाथ पुत्र गोरीनाथ
21. कजोड़नाथ पुत्र घासीनाथ दत्तक पुत्र रामनाथ
22. बाबूनाथ पुत्र ग्यारसानाथ
23. छाज्यानाथ पुत्र रेवडनाथ

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

समस्त जाति जोगी, निवासी चांदनवास ढाणी टीलावाली, तहसील बसवा जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुगन सिंह पुत्र रामधन
2. गोमती पत्नि सुगनसिंह (मृतक के बजाय)

2.1 राकेश पुत्र सुगनसिंह

2.2 घनश्याम पुत्र सुगनसिंह

समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम गावडी, तहसील सिकराय, जिला दौसा।

2.3. रसाल पुत्री सुगनसिंह पत्नि कजोडमल, जाति गुर्जर, निवासी बंध की ढाणी, बाग भण्डारेज, तहसील दौसा, जिला दौसा ।

2.4 सरोज पुत्री सुगनसिंह पत्नि भगवानसहाय जाति गुर्जर, निवासी अरनिया, तहसील बसवा, जिला दौसा ।

3. राजस्थान राज्य सरकार, जरिये तहसीलदार तहसील बसवा, जिला दौसा ।
4. आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड, शाखा दौसा, जरिये शाखा प्रबन्धक ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा
दिनांक 19.6.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री प्रदीप विजय
2. वकील रेस्पोडेन्ट श्री अशोक कुमार जोशी
   तथा श्री राहुल राजावत ।

निर्णय

दिनांक –31.12.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी बॉदीकुई , जिला दौसा के निर्णय दिनांक 19.6.17 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी एवं मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 20.3.2018 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि सुगन सिंह व गोमती द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बॉदीकुई, जिला दौसा के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नं. 49, 57 89, 91, 96, 100, 101, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 145 /417, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 185, 186, 190, 191, 198, 202, 206, 207, 208, 209, 224, 436/218 कुल किता 53, कुल रकबा 11.04 हैक्टेयर ग्राम चांदनवास, तहसील बसवा, जिला दौसा का सीमा ज्ञान कराया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाये जावें । उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बॉदीकुई द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.6.2017 पारित किया गया कि "प्रार्थियान द्वारा पूर्व में सीमाज्ञान कराया हुआ है परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान को मानने से इन्कार कर दिया । सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र तहसीलदार बसवा को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी की पत्थरगढी नियमानुसार कराई जाकर रिपोर्ट भिजवायें ।"

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.6.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा दिनांक 19.6.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि पर काबिज काश्त अपीलान्ट्स को पक्षकार बनाये बिना एवं उन्हें सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना तथा पडौसी एवं विवादित भूमि के मध्य स्थित भूमि के खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना व बिना सुने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि जिस भूमि की पत्थरगढी काआदेश पारित किया है उस भू भाग पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 का कब्जा नहीं है । भूमि नदी पाले के रूप मे है तथा 50 वर्षों से भी अधिक समय से भूमि पर अपीलान्ट्स का कब्जा चला आ रहा है व आज भी काबिज है । अधीनस्थ न्यायालय न विवादित भूमि का बिना मौका देखे व पूर्व सीमाज्ञान रिपोर्ट को पढे बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिक नहीं होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि अपीलान्ट की खसरा नम्बर 136, 137, 203 व 204 की भूमि स्थित थी तथा उक्त भूमि के लगते हुये अपीलान्ट की अन्य खसरा नम्बरान 188, 189, 192 लगायत 196, 199 लगात 201, 197, 177 आदि खसरा नम्बरान की भूमि थी । उनका कहना था कि भूमि विवादित थी और विवादित भूमि पर अधीनस्थ न्यायालय ने पत्थरगढी करने के आदेश देने में कानूनी त्रुटि की है । अपीलाधीन आदेश प्रभावशून्य है और प्रभावशून्य आदेश के खिलाफ अपील किये जाने हेतु समय सीमा बाधित नहीं है । अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट विवादित भूमि के खातेदार है और अपने खातेदारी भूमि का सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढी कराने के विधिक अधिकारी हैं । अपीलान्ट्स विवादित भूमि के खातेदार नहीं हैं इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उन्हें पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट्स के प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश पारित कर विवादित आराजी की पत्थरगढी नियमानुसार कराई जाकर रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार बसवा को आदेश प्रदान किये हैं । उनका कहना था कि अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है एवं अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने के संबंध मे विवाद है । रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर विवादित आराजी की पत्थरगढी नियमानुसार कराकर रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार, बसवा को आदेश प्रदान किया है । दूसरी ओर अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील धारा 96

सीपीसी के प्रार्थना पत्र एवं मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने की प्रार्थन की । हम समझते हैं कि विवादित भूमि का सीमाज्ञान उप तहसीलदार के आदेश क्रमांक : 8 दिनांक 29.4.2016 की पालना में आई.एल.आर, बॉदीकुई, पटवारी गुडलिया, पटवारी भॉवता, पटवारी गादरवाडा गूजरान के साथ ग्राम चांदनवास के विवादित आराजी का मौके पर सीमाज्ञान दिनांक 18.5.16 को किया गया था । जिस भूमि का सीमाज्ञान किया गया था वह अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि नहीं है । रेस्पोंडेन्ट्स की प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान किया गया था । हम समझते हैं कि प्रकरण में पूर्व में रेस्पोंडेन्ट्स की प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान होने के कारण रेस्पोंडेन्ट्स के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.6.2017 पारित कर प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी नियमानुसार कराकर रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार, बसवा को आदेश प्रदान किये है , जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं । ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा दिनांक 19.6.2017 यथावत रखा जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर